जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

क्रमांकःजयपुर डिस्काम्/प्रबन्ध निदेशक/मु.ले.अ.(आ.अं.)/प. /प्रे. 516 दिनांक 5-6-14

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि वृत भण्डारों का भौतिक सत्यापन कार्य समय पर न होने के कारण रिकार्ड संधारण में अनेक प्रकार की अनियमितताऐं एवं सामान के दुरूपयोग होने की संभावना को बढ़ावा मिला है। अतः वृत भण्डारों की कार्यशैली को व्यवस्थित रखने के लिये नियमित रूप से निरीक्षण की आवश्यकता है।

अतः अधीक्षण अभियंता (आई एण्ड एस)/अधिशाषी अभियंता (आई एण्ड एस), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर अपने अधीन वृत्त भण्डारों एवं उप भण्डारों (एस.एस.), का नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। जिसमें स्टोर मैन्यूवल में निर्धारित प्रपत्रों, रजिस्टर्स एवं अभिलेखों एवं सामान के अवलोकन के साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रत्येक माह में कम से कम एक स्टोर का एवं वर्ष में सभी स्टोर का कम से कम एक बार निरीक्षण हो सके :–

क. भण्डार में रखा सामान एक अच्छा दृश्य प्रस्तुत करें, सामान सलीके से व्यवस्थित हो। सामान को जमाने में एक सलीका, एक क्रम बद्धता दिखाई दे।

ख. आवश्यकता से अधिक सामान का एक वृत्त भण्डार से दूसरे वृत्त भण्डारों में आन्तरिक –अन्तरण आदेश (Diversion) मांग के अनुरूप तुरन्त जारी करेंगें।

ग. गारण्टी अवधि में फेल ट्रांसफार्मर, वी.सी.बी. एवं मीटर इत्यादि का फर्मवाईज रिकार्ड संधारण सुनिश्चित हो एवं जनरल कन्डीशन्स ऑफ कॉन्ट्रेक्ट (GCC. Clause No. 1.32.4) की पालना में 30 दिन की निर्धारित अवधि में मरम्मत हेतु भिजवाया जाना **तथा फर्म द्वारा 30 दिन में मरम्मत होकर** पुनः आना सुनिश्चित करें एवं नये ट्रांसफार्मरों पर नेमप्लेट /बॉडी पर सीरियल नम्बर, टी.एन. नम्बर एवं फर्म का नाम खुदे होते है, अतः कोई भी ट्रांसफार्मर WNP नहीं माना जावे। इसका भी उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करेंगें।

घ. रिजेक्ट किए सामान का रिकार्ड संधारण एवं ऐसे सामानों का समय पर निस्तारण का ध्यान रखेंगे।

ड. सेम्पल टैस्ट रजिस्टर (सी.ओ.एस.–25) का संधारण सुनिश्चित करना एवं सी.टी.एल. फेल सामानों पर रेड (X.) करवाने की जांच एवं संधारण सम्बन्धित निर्देश देंगें।

च. भण्डारों के सुरक्षा द्वार पर सुरक्षा प्रहरी द्वारा वाहन आवा–गमन के रजिस्टर के संधारण की जांच करेंगें।

छ. उपखण्ड से प्राप्त सामानों को एम.सी.एन. (सी.ओ.एस.–15) के अनुसार उल्लेखित दिनांक में ही सी.ओ.एस.–6 में इन्द्राज एवं प्राप्ति (हस्ताक्षर सहित) देना, उसी दिन सुनिश्चित हो, की जांच करेंगें।

ज. उपखण्ड से प्राप्त स्क्रेप एवं अन्य सामानों की प्राप्ति (अधिकांशतः सी.एल.आर.सी. के अन्तर्गत कार्य करने वाले ठेकेदारों से) में ACOS द्वारा वजन एवं दिनांक में Over writing नहीं हो, की जांच करेंगें।

झ. उपखण्ड अधिकारी से सहायक भण्डार नियन्त्रक **पूर्व में** जारी **किये गये सामान की उपयोगिता का प्रमाण पत्र लेने के** बाद ही नया सामान जारी **करेंगें।**

ञ. **उपखण्ड अधिकारी अपनी** एक माह की आवश्यक सामान **की मात्रा निर्धारित कर सहायक भण्डार नियन्त्रक को प्रत्येक** माह की **पहली** तारीख **को प्रस्तुत करें एवं विशेष परिस्थिति को छोड़कर माह में एक बार** ही सामान जारी करवायेंगें।
यह जांच प्रतिवेदन हर माह श्रीमान मुख्य अभियंता (एम.एम.), को भेजेगे इसकी रिपोर्ट की एक प्रति मुख्य लेखाधिकारी (आ.अं) को भेजेंगें।

समस्त जांच अधिकारी **अपने** जांच प्रतिवेदन में यह **टिप्पणी अवश्य करेंगें कि वृत भण्डार में रिकार्ड** का **संधारण** निर्धारित प्रपत्रों में एवं नियमानुसार **किया** जा रहा **है।**

(ए.के. गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक
जयपुर डिस्कॉम्, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान संभागीय मुख्य अभियंता (पवस), जयपुर डिस्कॉम्, ...
2. श्रीमान मुख्य अभियंता (पदार्थ प्रबंध), जयपुर डिस्कॉम, ...
3. श्रीमान अधीक्षण अभियंता (आई एण्ड एम)/(पवस), जयपुर डिस्कॉम्, ...
4. श्रीमान सहायक भंडार नियंत्रक (जेपीडीसी/जेसीसी), जयपुर डिस्कॉम्, ...
5. श्रीमान भंडार अधीक्षक, जयपुर डिस्कॉम्, ...

(वाई.एस.राठौड़)
मुख्य लेखाधिकारी (आं.अं.)
जयपुर डिस्कॉम्, जयपुर।